NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-05-2026

विषय सूची

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ट्रांसजेंडरों के कल्याण सुनिश्चित करने हेतु दूसरी परामर्शी अधिसूचना जारी

भारत और इटली के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी में उन्नत

भारत–दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग

अधिकतम मांग के दौरान विद्युत आपूर्ति प्रबंधन

महाराष्ट्र द्वारा 23,000 से अधिक आर्द्रभूमियों का प्रलेखन पूर्ण

संक्षिप्त समाचार

वीरा पासी

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक प्राप्त

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की 2026 वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.4% किया

प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026

कार आयोग द्वारा ट्रांसजेंडरों के कल्याण सुनिश्चित करने हेतु दूसरी परामर्शी अधिसूचना जारी

संदर्भ

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु 11 मंत्रालयों के सचिवों, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दूसरी परामर्शी अधिसूचना जारी की है।

परिचय

- NHRC की सतत सहभागिता के आधार पर आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली अनेक स्थायी और उभरती चुनौतियों की पहचान की है।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - आगामी भारत की जनगणना में 'इंटरसेक्स', 'ट्रांसमैन' और 'ट्रांसवुमन' जैसी पृथक श्रेणियों का समावेश।
  - जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और उत्तराधिकार संबंधी कानूनों की समीक्षा, ताकि स्व-पहचाने गए लिंग की मान्यता और ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
  - ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए समान उत्तराधिकार, संपत्ति, आवास एवं भूमि अधिकारों की गारंटी।
  - शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर छात्रों का प्रवेश स्व-पहचाने गए लिंग के आधार पर, बिना चिकित्सीय प्रमाण की आवश्यकता।
  - जेंडर-अफर्मिंग स्वास्थ्य सेवाओं हेतु मानकीकृत और नैतिक चिकित्सा प्रोटोकॉल का विकास तथा लैंगिक पुनर्निर्धारण शल्यक्रिया की लागत का विनियमन।
  - समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देने हेतु जेंडर-न्यूट्रल सुविधाएँ, समावेशी मानव संसाधन नीतियाँ, कार्यस्थल शिकायत निवारण तंत्र और अनिवार्य विविधता प्रकटीकरण।
  - वृद्ध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, स्व-पहचान आधारित नामांकन को सक्षम करना तथा ट्रांसजेंडर-समावेशी वृद्धाश्रमों की स्थापना।

LGBTQIA+

- LGBTQIA+ एक छत्र शब्द है जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स और एसेक्शुअल व्यक्ति सम्मिलित हैं। '+' अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- LGBTQIA+ व्यक्ति पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, उनके यौन लक्षण सामान्य पुरुष या महिला द्विआधारी में फिट नहीं होते, तथा उनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय दिए गए लिंग से भिन्न हो सकती है।

भारत में LGBTQIA+ अधिकारों की स्थिति

- **जनगणना 2011:** भारत में 4.87 लाख व्यक्तियों ने लिंग श्रेणी में "अन्य" विकल्प चुना।
- **ट्रांसजेंडर अधिकार:** NALSA बनाम भारत संघ (2014) ने स्व-पहचाने गए लिंग के अधिकार को मान्यता दी।
  - ट्रांसजेंडर को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता देते हुए उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की।
- **अपराधमुक्ति:** नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018) ने सहमति से किए गए समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया (धारा 377 आंशिक रूप से निरस्त)।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।
- **विधि:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **सामाजिक मुद्दे:** गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण परिवारों और समुदायों से बहिष्करण।

- **शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** उत्पीड़न, हिंसा और बुलिंग के कारण उच्च विद्यालय स्तर पर भारी ड्रॉपआउट दर।
- **रोज़गार में बाधाएँ:** नियुक्ति और कार्यस्थल पर व्यापक भेदभाव। अवसरों की कमी के कारण प्रायः असुरक्षित और शोषणकारी क्षेत्रों जैसे भीख माँगना या यौन कार्य में मजबूर।
- **स्वास्थ्य सेवा से बहिष्करण:** जेंडर-अफर्मिंग स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, चिकित्साकर्मियों द्वारा भेदभाव, सार्वजनिक अस्पतालों में हार्मोनल और शल्य सेवाओं की अनुपलब्धता।
    - सामाजिक अस्वीकृति और अलगाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर भारी भार।
- **हिंसा और उत्पीड़न:** सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर मौखिक, शारीरिक एवं यौन हिंसा का शिकार।
- **राजनीतिक अल्प-प्रतिनिधित्व:** मुख्यधारा की पार्टियों और संस्थानों में कम दृश्यता और प्रतिनिधित्व। नीति-निर्माण में भागीदारी का अभाव उनकी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति को बाधित करता है।

सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (2020):** पहचान प्रमाणपत्र और लाभों तक पहुँच हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- **SMILE योजना (2022):** आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और आश्रय सहायता प्रदान करती है। गरिमा गृह केंद्रों एवं आयुष्मान भारत TG Plus स्वास्थ्य कवरेज के माध्यम से।

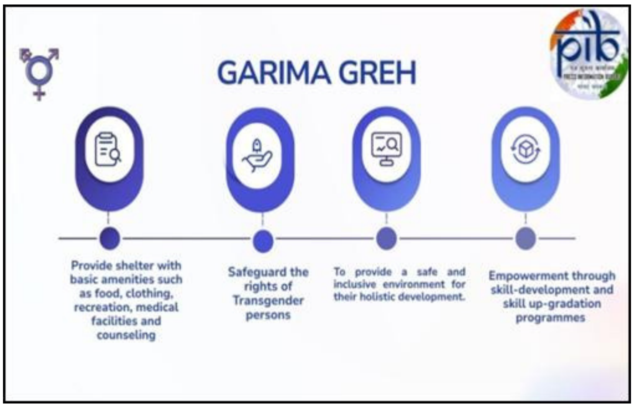

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग:** "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की, जिससे रोजगार अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा और संवर्धन है। परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच प्रतिनिधि, NHRC और NCW के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा NGO विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल और राष्ट्रीय पोर्टल एकीकरण:** जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन जिला-स्तरीय सेल की स्थापना, अपराधों की निगरानी, समय पर FIR पंजीकरण, संवेदनशीलता कार्यक्रमों का संचालन और कानूनी संरक्षण को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

- हाल के वर्षों में भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत सुधार हुए हैं। जैसे-जैसे भारत एक अधिक न्यायसंगत भविष्य की ओर अग्रसर है, यह सुनिश्चित करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा, स्वायत्तता और अवसरों के साथ जीवन व्यतीत करें, उसके लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का केंद्रीय तत्व बना हुआ है।

Source: AIR

भारत और इटली के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी में उन्नत

संदर्भ

- भारत और इटली ने अपने संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी में उन्नत किया।

प्रमुख बिंदु

- दोनों पक्षों ने 10 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, समुद्री परिवहन और समुद्री उत्पादों में साझेदारी को बढ़ावा देने के समझौते शामिल हैं।

- भारत और इटली ने रक्षा औद्योगिक रोडमैप जारी किया, जिसमें सैन्य उपकरणों और प्लेटफार्मों का सह-विकास एवं सह-उत्पादन शामिल है, जैसे हेलीकॉप्टर और समुद्री शस्त्र।
- दोनों ने भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- दोनों देशों ने वार्षिक व्यापार को 2029 तक 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का संकल्प लिया, जो वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार €14 अरब (15.2 अरब डॉलर) है।

भारत-इटली द्विपक्षीय संबंधों पर संक्षेप

- इटली के साथ राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए और 2023 में इन्हें सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया, जब दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र**: 2021 में 'भारत-इटली-जापान' त्रिपक्षीय पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना है।
    - यह यूरोपीय देश के साथ भारत की दूसरी त्रिपक्षीय पहल है, 'भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया' त्रिपक्षीय के बाद।
- **संयुक्त कार्य योजना**: प्रधानमंत्री और उनके इतालवी समकक्ष ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त सामरिक कार्य योजना 2025-29 का अनावरण किया।
    - यह पांच वर्षीय योजना रक्षा, अर्थव्यवस्था, संपर्क, विज्ञान एवं नवाचार, प्रवासन एवं गतिशीलता, अंतरिक्ष और ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दृष्टि प्रस्तुत करती है।
- **वैश्विक मंच**: इटली ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों — 'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' और 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' — में भाग लिया।
    - इटली 2021 में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) से भी जुड़ा, जब वह G20 की अध्यक्षता और COP26 की सह-अध्यक्षता कर रहा था।
- **आर्थिक संबंध**: इटली, यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025 में द्विपक्षीय व्यापार €14.25 अरब तक पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात €8.55 अरब रहा और भारत के पक्ष में €2.85 अरब का संतुलन रहा।
    - यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है।
- **भारतीय प्रवासी समुदाय**: इटली में भारतीय नागरिक यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा भारतीय समुदाय हैं।
    - वे इटली में सातवां सबसे बड़ा विदेशी समुदाय हैं, जो वहां के विदेशी नागरिकों का 3.25% हिस्सा हैं।
    - 2023 में 'प्रवासन और गतिशीलता समझौता' (MMA) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे श्रमिकों का सुरक्षित और कानूनी प्रवासन संभव हुआ।
- **भविष्य की दृष्टि**: बीते घटना दोनों पक्षों की नए सिरे से रुचि को दर्शाते हैं। भारत और इटली क्रमशः हिंद महासागर और भूमध्यसागर में अपनी सामरिक स्थिति का लाभ उठाकर संपर्क, स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं।

भारत के लिए इटली का महत्व

- **सामरिक और राजनीतिक महत्व**: इटली यूरोपीय संघ, G7 और NATO का महत्वपूर्ण सदस्य है, जिससे भारत को यूरोप और व्यापक पश्चिमी जगत से जुड़ने में सहयोग मिलता है।
- **व्यापार और आर्थिक महत्व**: इटली यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इतालवी कंपनियां उन्नत विनिर्माण, लक्ज़री वस्त्र, फैशन, डिज़ाइन और प्रिसिजन इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भारत की औद्योगिक वृद्धि को पूरक बनाती हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग**: इटली नौसैनिक प्रणालियों, एयरोस्पेस तकनीक, रक्षा निर्माण और जहाज निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। रक्षा सहयोग भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ कर सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु सहयोग**: इटली स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण भागीदार है।

- दोनों देश सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सतत गतिशीलता और जलवायु-प्रतिरोधी तकनीकों में सहयोग करते हैं।
- **समुद्री और संपर्क महत्व**: भूमध्य सागर में इटली का सामरिक स्थान भारत के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक व्यापारिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- इटली भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक यूरोपीय साझेदार है, जिसकी तकनीक, विनिर्माण, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक कूटनीति में विशेष ताकतें हैं। भारत-इटली सहयोग को सुदृढ़ करने से भारत को आर्थिक साझेदारियों का विविधीकरण, तकनीकी उन्नति, समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ करने और यूरोप के साथ गहन जुड़ाव में सहायता मिलेगी।

Source: TH

भारत–दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग

संदर्भ

- भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया दक्षिण कोरिया यात्रा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत–दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग के बढ़ते सामरिक महत्व को दर्शाती है।

यात्रा के प्रमुख बिंदु

- दोनों देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौते हुए:
  - रक्षा साइबर क्षेत्र में सहयोग
  - भारत के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच प्रशिक्षण
  - संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग, जिससे साझेदारी और अधिक सुदृढ़ एवं बहुआयामी बनी।
- दोनों देशों ने दो महत्वपूर्ण MoUs पर हस्ताक्षर किए, जिनमें स्वचालित वायु रक्षा प्रणालियों और निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणालियों का सह-विकास शामिल है।
- लार्सन एंड टुब्रो और हनव्हा ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग एवं क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु समझौता किया।
- दोनों पक्षों ने भारत–कोरिया रक्षा नवाचार त्वरक पारिस्थितिकी तंत्र (KIND-X) के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के नवाचार पारिस्थितिक तंत्रों का एकीकरण है।

भारत के लिए दक्षिण कोरिया का महत्व

- **उन्नत विनिर्माण**: दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और जहाज निर्माण में वैश्विक अग्रणी है, जिससे भारत की विनिर्माण एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूती मिलती है।
  - सैमसंग, ह्युंडई मोटर कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और किया कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां निवेश एवं तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत की "मेक इन इंडिया" पहल को समर्थन देती हैं।
- **सामरिक और रक्षा सहयोग**: भारत और दक्षिण कोरिया इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित बनाए रखने में समान हित साझा करते हैं।
  - दक्षिण कोरिया का उन्नत एयरोस्पेस क्षेत्र, जिसमें KF-21 लड़ाकू कार्यक्रम और FA-50 हल्के लड़ाकू विमान शामिल हैं, लड़ाकू तकनीकों, इंजन, एवियोनिक्स, मिसाइल एकीकरण एवं रखरखाव प्रणालियों में सहयोग के नए अवसर खोलता है।
- **आर्थिक सामंजस्य**: दक्षिण कोरिया भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का महत्वपूर्ण स्रोत और भारत–ROK CEPA के तहत प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।

- **समुद्री सहयोग**: जहाज निर्माण और पनडुब्बी तकनीकों में दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञता, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की समुद्री एवं नौसैनिक आधुनिकीकरण महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देती है।

भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों पर संक्षेप

- **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध**: दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, विशेषकर 48 ईस्वी में अयोध्या की एक भारतीय राजकुमारी (रानी ह्यो ह्वांग-ओक) का गाया साम्राज्य के राजा किम सुरो से विवाह।
    - के-पॉप, के-ड्रामा और भारतीय सिनेमा के माध्यम से बढ़ते सांस्कृतिक आदान-प्रदान जन-जन के संबंधों को सुदृढ़ करते हैं।
- **राजनयिक सहयोग**: भारत और दक्षिण कोरिया ने 2015 में अपने संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया।
    - दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं और CEPA समझौते को उन्नत करने पर बातचीत कर रहे हैं।
    - भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" और दक्षिण कोरिया की क्षेत्रीय सामरिक दृष्टि एक-दूसरे को पूरक बनती जा रही है।
- **आर्थिक सहयोग**: FY2025 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
    - 2000 से 2024 के बीच दक्षिण कोरिया भारत का 13वां सबसे बड़ा FDI निवेशक रहा, जिसकी राशि 5.85 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- **प्रवासी समुदाय**: 2025 तक दक्षिण कोरिया में भारतीय समुदाय लगभग 17,000 लोगों का अनुमानित है, जिसमें पेशेवर, शोधकर्ता, छात्र और व्यवसायी शामिल हैं।

भारत–दक्षिण कोरिया सहयोग की चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी चिंताएँ**: बौद्धिक संपदा अधिकार और तकनीकी हस्तांतरण से संबंधित मतभेद उन्नत रक्षा सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **भूराजनीतिक संवेदनशीलताएँ**: चीन पर दक्षिण कोरिया की आर्थिक निर्भरता कभी-कभी भारत के साथ सामरिक संरेखण की सीमा तय करती है।
- **रक्षा निर्यात में प्रतिस्पर्धा**: दोनों देश उभरते हुए रक्षा निर्यातक हैं, जिससे कुछ वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न हो सकता है।
- **नौकरशाही और प्रक्रियात्मक विलंब**: जटिल खरीद प्रक्रियाएँ और नियामक बाधाएँ संयुक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन को धीमा कर सकती हैं।

निष्कर्ष

- भारत–दक्षिण कोरिया रक्षा संबंध साझा इंडो-पैसिफिक सुरक्षा चिंताओं, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता से प्रेरित होकर व्यापक सामरिक साझेदारी में विकसित हो रहे हैं।
- रक्षा-औद्योगिक सहयोग से परे, दोनों देश समुद्री सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और सामरिक लचीलापन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन रही है।

Source: TH

अधिकतम मांग के दौरान विद्युत आपूर्ति प्रबंधन

संदर्भ

- भारत की विद्युत मांग 2026 की गर्मियों में तीव्र रूप से बढ़ी, अप्रैल में अधिकतम मांग 256.1 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुँची।

अधिकतम मांग क्या है?

- अधिकतम मांग उस उच्चतम स्तर को दर्शाती है, जिस पर किसी विशिष्ट अवधि में ग्रिड पर विद्युत की खपत होती है, जिसे सामान्यतः 15 मिनट के अंतराल में मापा जाता है।
- **अधिकतम मांग की विशेषताएँ:**
    - यह सामान्यतः दिन में 2–4 घंटे तक रहती है।
    - गर्मियों में, यह देर दोपहर से देर शाम तक होती है, जब एयर कंडीशनर और शीतलन उपकरणों का भारी उपयोग होता है।

- सर्दियों में, यह प्रातः और संध्या समय में होती है, जब हीटिंग और प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है।

राज्य विद्युत मांग का प्रबंधन कैसे करते हैं?

- **दीर्घकालिक पीपीए के माध्यम से संविदात्मक आपूर्ति**: राज्य वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) विद्युत उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते करती हैं।
  - ये समझौते निश्चित क्षमता और मूल्य पर स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
  - भारत की लगभग 85–90% विद्युत मांग ऐसे अनुबंधों से पूरी होती है।
- **विद्युत विनिमय से खरीद**: अचानक मांग वृद्धि या आपूर्ति विफलता के समय, राज्य अल्पकालिक विद्युत विनिमय से बिजली खरीदते हैं।
  - लगभग 10–15% विद्युत इन विनिमयों के माध्यम से व्यापार की जाती है, जो आपूर्ति और मांग के बीच वास्तविक समय असंतुलन को संतुलित करने में सहायता करती है।

बढ़ती मांग से राज्यों को होने वाली चुनौतियाँ

- **विद्युत खपत में वृद्धि**: पिछले पाँच वर्षों में भारत की अधिकतम विद्युत मांग लगभग 37% बढ़ी है।
  - 2020 में लगभग 183 गीगावाट से बढ़कर 2026 में 250 गीगावाट से अधिक हो गई।
  - घरेलू विद्युतीकरण, एयर कंडीशनर का बढ़ता उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार और कृषि विद्युत खपत इसके प्रमुख कारण हैं।
- **वित्तीय दबाव**: DISCOMs अक्सर निश्चित आपूर्ति क्षमता वाले दीर्घकालिक अनुबंधों में बंधे रहते हैं, जो अचानक अधिकतम मांग को पूरा नहीं कर पाते।
  - अतिरिक्त बिजली अल्पकालिक बाजार से ऊँचे मूल्य पर खरीदनी पड़ती है।
  - उत्तर प्रदेश और बिहार उच्च वितरण हानि, पुरानी अवसंरचना और अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं।
- **वितरण अवसंरचना पर दबाव**: अधिभारित ट्रांसफॉर्मर, पुरानी फीडर लाइनों और खराब रखरखाव से अंतिम स्तर पर विद्युत आपूर्ति कमजोर होती है।
  - कई राज्यों में वितरण प्रणाली अपनी तकनीकी सीमा के करीब संचालित हो रही है।
  - उत्तरी राज्यों में ट्रांसफॉर्मर विफलता दर 20% तक दर्ज की गई है।

राज्यों द्वारा अपनाए गए मांग-पक्ष उपाय

- कई राज्य उपभोक्ताओं को शाम के अधिकतम मांग समय में विद्युत खपत कम करने की सलाह जारी करते हैं।
- ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- कृषि भार का समय निर्धारण भी कुछ राज्यों में अपनाया जा रहा है, ताकि ग्रिड पर दबाव कम हो।
- समय-आधारित (ToD) टैरिफ लागू किए जा रहे हैं, जिनमें खपत के समय के अनुसार विद्युत मूल्य बदलते हैं।
- स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे विद्युत उपयोग दक्षता और मांग पूर्वानुमान में सुधार हो।
- **उदाहरण**: दिल्ली ने शाम की विद्युत मांग को कम करने हेतु स्मार्ट मीटरिंग और ToD टैरिफ पर अधिक निर्भरता दिखाई है।

अधिकतम मांग प्रबंधन में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका

- **विद्युत खपत में वृद्धि:** विगत पाँच वर्षों में भारत की अधिकतम विद्युत मांग लगभग 37% बढ़ी है।
  - 2020 में लगभग 183 गीगावाट से बढ़कर 2026 में यह 250 गीगावाट से अधिक हो गई।
  - घरेलू विद्युतीकरण में वृद्धि, एयर कंडीशनर के बढ़ते उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार और कृषि विद्युत खपत का विस्तार, मांग बढ़ने के प्रमुख कारक हैं।
- **वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर वित्तीय दबाव:** DISCOMs प्रायः दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (PPAs) में बंधे रहते हैं, जिनकी निश्चित आपूर्ति क्षमता अचानक बढ़ी हुई अधिकतम मांग को पूरा नहीं कर पाती।

- अधिकतम मांग अवधि में अतिरिक्त विद्युत अल्पकालिक बाजार से काफी ऊँचे मूल्य पर खरीदनी पड़ती है।
- उत्तर प्रदेश और बिहार उच्च वितरण हानि, पुरानी अवसंरचना एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करते रहते हैं।

- **वितरण अवसंरचना पर दबाव:** अधिभारित ट्रांसफॉर्मर, पुरानी फीडर लाइनों और खराब रखरखाव से अंतिम स्तर पर विद्युत आपूर्ति प्रणाली कमजोर होती है।
    - कई राज्यों में वितरण प्रणाली अपनी तकनीकी सीमा के करीब संचालित हो रही है।
    - उत्तरी राज्यों में ट्रांसफॉर्मर विफलता दर 20% तक दर्ज की गई है।

ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता

- केवल नवीकरणीय ऊर्जा विश्वसनीय चौबीसों घंटे आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती, क्योंकि सौर और पवन उत्पादन अस्थिर होता है।
- अतः अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च उत्पादन अवधि में संग्रहीत कर, अधिकतम मांग समय में आपूर्ति हेतु ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)**: अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली को संग्रहीत कर उच्च मांग अवधि में आपूर्ति करती है।
    - यह ग्रिड की लचीलापन, विश्वसनीयता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को सुधारती है।
- **पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (PHS)**: जल को ऊँचे जलाशयों में पंप कर ऊर्जा संग्रहीत करता है और अधिकतम मांग अवधि में बिजली उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- भारत को BESS और PHS जैसी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता एवं शाम की अधिकतम मांग को प्रबंधित किया जा सके।
- स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों का विस्तार कर ग्रिड की लचीलापन एवं विश्वसनीयता बढ़ाई जानी चाहिए।
- राज्यों को प्रसारण और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करना होगा, ताकि अंतिम स्तर पर विद्युत आपूर्ति में सुधार हो सके।

Source: TH

महाराष्ट्र द्वारा 23,000 से अधिक आर्द्रभूमियों का प्रलेखन पूर्ण

संदर्भ

- राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM) ने महाराष्ट्र की 23,415 आर्द्रभूमियों का प्रलेखन और स्थल-यथार्थापन पूर्ण किया है।

आर्द्रभूमि क्या है?

- आर्द्रभूमि वह पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें भूमि जल से ढकी रहती है — चाहे वह लवणीय हो, स्वच्छ हो या दोनों के बीच का — और यह मौसमी अथवा स्थायी रूप से हो सकता है।
- यह अपना विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है।
- इसमें झीलें, नदियाँ, भूमिगत जलभृत, दलदल, आर्द्र घासभूमि, पीटलैंड, डेल्टा, ज्वारीय मैदान, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और अन्य तटीय क्षेत्र शामिल होते हैं।
- आर्द्रभूमियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, तटीय आर्द्रभूमि और मानव-निर्मित आर्द्रभूमि।

भारत में आर्द्रभूमियाँ

- भारत में हिमालय की उच्च-ऊँचाई वाली आर्द्रभूमियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की बाढ़भूमियाँ, तटीय क्षेत्र में लैगून और मैंग्रोव दलदल, तथा समुद्री पर्यावरण में प्रवाल भित्तियाँ शामिल हैं।
- भारत की लगभग 4.6% भूमि आर्द्रभूमि है।
- भारत की 99 आर्द्रभूमियाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची (रामसर स्थल) में शामिल हैं।
- भारत एशिया में सबसे बड़ा रामसर स्थल नेटवर्क और विश्व में संख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखता है।
- 2026 में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक 20 रामसर स्थलों वाला राज्य है।

आर्द्रभूमियों का महत्व

- **जैव विविधता केंद्र:** आर्द्रभूमियाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं, जो अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करती हैं।
- **जल शोधन और परिशोधन:** ये प्राकृतिक फिल्टर की तरह कार्य करती हैं, प्रदूषकों और तलछट को जल से हटाती हैं।
- **बाढ़ नियंत्रण और जल विनियमन:** भारी वर्षा या तूफान के दौरान अतिरिक्त जल को अवशोषित और धीमा कर प्राकृतिक बफर का कार्य करती हैं।
- **कार्बन अवशोषण:** आर्द्रभूमियों की जलसिक्त परिस्थितियाँ कार्बनिक पदार्थों के विघटन को धीमा करती हैं, जिससे मृदा में कार्बन का संचय होता है।
- **आर्थिक लाभ:** आर्द्रभूमियाँ मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती हैं।

रामसर अभिसमय

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य विश्वभर में आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है।
- इसे 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया और 1975 में लागू किया गया।
- संधि के पक्षकार देशों को अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को नामित करना होता है, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है।
- **मानदंड:**
  - यदि यह संकटग्रस्त, विलुप्तप्राय या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों अथवा पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करती है।
  - यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करती है।
  - यदि यह मछलियों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत, प्रजनन स्थल और नर्सरी है।
- भारत 1982 से इस अभिसमय का पक्षकार है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

वीरा पासी

संदर्भ

- हाल ही में रायबरेली में वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिन्हें 1857 के विद्रोह के "भूले-बिसरे नायक" के रूप में याद किया जाता है।

वीरा पासी के बारे में

- वीरा पासी (जन्म: शिवदीन पासी) 19वीं शताब्दी के एक साहसी योद्धा और सेना के सेनापति थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में वीरतापूर्ण भूमिका निभाई।
- उनका जन्म 11 नवंबर 1835 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के लोधवारी गाँव में हुआ।
- बचपन में अनाथ हो जाने के बाद वे अपनी बहन के साथ रहे।
- स्थानीय बोली में बहन के परिवार के साथ रहने वाले भाई को स्नेहपूर्वक "वीरना" कहा जाता था, जो आगे चलकर "वीरा" नाम में परिवर्तित हुआ।
- वे शंकरपुर एस्टेट (अवध) के शासक राणा बेनी माधव बख्श सिंह के विश्वसनीय सेनापति और सहयोगी बने।
- जब ब्रिटिश सेना ने राणा बेनी माधव सिंह को बंदी बना लिया, तब वीरा पासी ने अद्भुत साहस दिखाते हुए उन्हें जेल से मुक्त कराया।

स्रोत: IE

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

संदर्भ

- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

- संविधान में प्रावधान है कि किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधारित होता है।
- न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में विस्तृत की गई है।
    - यह अधिनियम भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- **हटाने के आधार:**
    - **सिद्ध दुराचार:** ऐसे कार्य या आचरण जो न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन करते हों, पेशेवर दुराचार हों या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाते हों।
    - **अक्षम्यता:** शारीरिक या मानसिक अक्षमता, जो न्यायाधीश को अपने पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने से रोकती है।

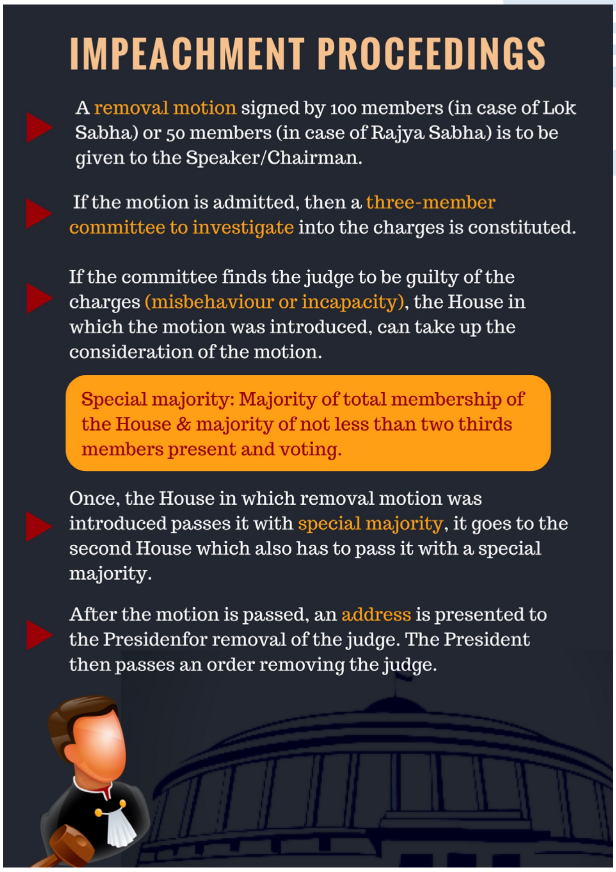

स्रोत: AIR

प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक प्राप्त

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम, इटली स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया। यह पदक FAO के महानिदेशक क्व डोंग्यू द्वारा प्रदान किया गया।

एग्रीकोला पदक के बारे में

- एग्रीकोला पदक FAO महानिदेशक द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- यह पदक जॉर्जियस एग्रीकोला के नाम पर रखा गया है, जो एक जर्मन विद्वान थे और “खनिज विज्ञान के जनक” तथा कृषि एवं खनन विज्ञान के अग्रदूत माने जाते हैं।
- यह पदक उन विश्व नेताओं और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, गरीबी उन्मूलन एवं पोषण सुधार में असाधारण एवं दीर्घकालिक योगदान दिया हो।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)

- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो भूख मिटाने और खाद्य सुरक्षा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
- **सदस्य:** FAO में 195 सदस्य हैं, जिनमें 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** रोम, इटली।

स्रोत: AIR

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की 2026 वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.4% किया

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ (वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं) में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 2026 के लिए

6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है। इसका कारण कमजोर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक अनिश्चितता बताया गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अनुमान घटाए जाने के बावजूद भारत विश्व की सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।
- भारत कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा।
- **वृद्धि अनुमान घटाने के कारण:**
    - कमजोर वैश्विक मांग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रवाह प्रभावित हो रहे हैं।
    - भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक बाज़ारों में अनिश्चितता उत्पन्न कर रहे हैं।
    - बढ़ते व्यापारिक प्रतिबंध और संरक्षणवादी नीतियाँ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर रही हैं।
    - अस्थिर ऊर्जा मूल्य आर्थिक अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं।
    - ऊँची वैश्विक उधारी लागत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है।

स्रोत: ET

प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास

संदर्भ

- बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में आरंभ हुआ।

परिचय

- PRAGATI का अर्थ है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और रूपांतरण हेतु क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी।
- मेज़बान भारत के अतिरिक्त "12 मित्र देशों" के सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इनमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम शामिल हैं।
- इस अभ्यास का मुख्य ध्यान अर्ध-पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित है।

स्रोत: AIR

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026

पाठ्यक्रम: विविध

संदर्भ

- ताइवान यात्रा-वृत्तांत को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह पहली बार है जब मंदारिन चीनी से अनूदित किसी उपन्यास को यह पुरस्कार मिला है।

परिचय

- यह उपन्यास ताइवानी लेखिका यांग शुआंग-ज़ी द्वारा लिखा गया है और ताइवानी-अमेरिकी अनुवादक लिन किंग द्वारा अंग्रेज़ी में अनूदित किया गया है।
- उपन्यास निषिद्ध प्रेम, पहचान और खाद्य संस्कृति जैसे विषयों की पड़ताल करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

- पूर्व में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस कथा-साहित्य (उपन्यास या लघुकथा संग्रह) को दिया जाता है, जो मूल रूप से अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में लिखा गया हो और फिर अंग्रेज़ी में अनूदित होकर यू.के. और/या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो।
- यह पुरस्कार अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। £50,000 की राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बाँटी जाती है।
- **पूर्व विजेता:**
    - 2025 में Heart Lamp (लेखक: बानू मुश्ताक, अनुवादक: दीपा भास्ती) को यह पुरस्कार मिला। यह पहली पुस्तक थी जो कन्नड़ से अनूदित होकर इस सम्मान की पात्र बनी।

क्या आप जानते हैं?

- बुकर पुरस्कार एक अलग सम्मान है, जो प्रतिवर्ष अंग्रेज़ी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, जो यू.के. या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो।
    - भारतीय विजेता: अरुंधति रॉय (द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स), किरण देसाई (द इनहेरिटेन्स ऑफ लॉस), और अरविंद अडिगा (द व्हाइट टाइगर)।

स्रोत: TH

NEXT IAS